बिहार सरकार

परिवहन विभाग, बिहार पटना

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में ई–पेमेंट के संबंध में दिनांक–07.08.2014 को हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति– बैठक पंजी के अनुसार

1. सर्वप्रथम एस.बी.आई के प्रतिनिधियों से उनके पत्र जी.डी.बी./ओ.टी.एच/8 दिनांक–06/06/2014 के सम्बंध में जानकारी मांगी गई एवं अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड एवं केडिट कार्ड पर हस्तांतरित राशि के 1%, 1.50% एवं 0.75% प्रति हस्तांतरण काटे जाने के औचित्य पर पृच्छा की गई। एस.बी.आई के प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया कि अन्य बैंकों के डेबिट एवं केडिट कार्डों हेतु जो दर निर्धारित की गई है उसका मूल कारण clearance, visa master provider के द्वारा percentage term में ही service charge ली जाती है। इसलिए यह हमारी बाध्यता है।
2. अन्य बैंकों के डेबिट एवं केडिट कार्डो द्वारा कर भुगतान की सुविधा को तत्काल स्थगित रखते हुए मात्र अन्य बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग को सम्बद्ध किए जाने हेतु निदेशित किया गया जिसका दर interchange fee @Rs.5+ST per transaction निर्धारित है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र में उल्लिखित– Any new schemes of state government business or change in the existing scheme, to RBI only after due consultation with the Accountant General of your states so that the proposals confirms to the guidelines prescribed by them के परामर्श के आलोक में वित विभाग के माध्यम से लिए गए निर्णय को समाहित करते हुए महालेखाकार से सहमति प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया।
4. एन.आई.सी पटना एवं एस.बी.आई, पटना के प्रतिनिधियों को लिए गए निर्णय के आलोक में सम्बंधित कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने एवं CTMIS में प्रति लेन–देन (transaction) के आंकड़े 0041 शेष में परिलक्षित हो रहे हैं अथवा नहीं की जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु निदेशित किया गया।
5. एन.आई.सी. पटना को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि चालक अनुज्ञप्ति एवं वाहन निबंधन के शुल्क जमा की जाने की व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जाए तथा सम्बंधित जानकारी महालेखाकर, पटना को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में समाहित किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

11.8.14

प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।